

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 अप्रैल 2014—चैत्र 13, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2014

फा. क्र. 21(7)-चार-2014-271.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचनाएं क्रमांक 434-MP-HP-2014, दिनांक 31 मार्च, 2014 राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाती है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2014—10 चैत्र, 1936 (शक)

अधिसूचना

सं. 434-म.प्र.-लो.स. 2014.—भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि मध्यप्रदेश राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 24 फरवरी 2014 की अधिसूचना संख्या 434-म.प्र.-लो.स.-2014 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद संख्या 45-पृथ्वीपुर तथा 144-विदिशा के सामने स्तम्भ (3) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी:—

## सारणी

संसदीय क्षेत्र का क्रमांक व नाम (1)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (2)	सहायक रिटर्निंग आफिसर का पदनाम (3)
06-टीकमगढ़ (अ.जा.)	45-पृथ्वीपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
18-विदिशा	144-विदिशा	डिप्टी कलेक्टर, विदिशा

आदेश से,  
हस्ता.  
( बर्नार्ड जॉन )  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 31st March, 2014—10 Chaitra, 1936 (Saka)

## NOTIFICATION

No. 434-MP-HP-2014.—The Election Commission of India, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 434-MP-HP-2014, dated 24th February, 2014 relating to the appointment of Assistant Returning Officer for Parliamentary Constituencies in the Madhya Pradesh State:—

2. In the Table appended to the said Notification, for the existing entries in column (3) against item No. 45-Prithvipur and item No. 144-Vidisha in column (2), the following entries shall be substituted:—

## TABLE

No. & Name of Parliamentary Constituency (1)	No. & Name of Assembly Constituency (2)	Designation of Assistant Returning Officer (3)
06-TIKAMGARH (SC)	45-Prithvipur	C.E.O. Zila Panchayat, Tikamgarh (IAS)
18-VIDISHA	144-Vidisha	Deputy Collector, Vidisha

By order,  
Sd/-  
(BERNARD JOHN)  
Secretary,  
Election Commission of India.